

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-05/स्था0-95/2010(खण्ड).....

पटना/दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, वरीय उप समाहर्ता, औरंगाबाद, को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (i) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 06.08.2013 को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद, के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

शायांक:- 4226

पटना, दिनांक 02/09/2013

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभंडनीय आयुक्त गया/वित्त (वै0 दा0 नि को) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद/श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, वरीय उपसमाहर्ता सह जिला परिवहन पदाधिकारी, औरंगाबाद/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार गया। मोटर यान निरीक्षक, औरंगाबाद/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग एवं स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।